

फॉर्म एल-2-ए-पीएल

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम
पंजीकरण संख्या 512 और आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि: 01.01.2001

31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता

शेयरधारकों का लेखा (गैर-तकनीकी लेखा)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र संख्या	31.03.2022 तिमाही के लिए	31.03.2022 तिमाही तक	31.03.2021 तिमाही के लिए	31.03.2021 तिमाही तक
पॉलिसीधारकों के लेखा (तकनीकी लेखा) से अंतरित राशि		2,28,139.98	3,87,541.84	2,88,901.01	2,88,901.01
निवेश से आय					
(a) ब्याज, लाभांश और किराया - सकल		6,348.50	16,095.80	419.26	1,777.65
(b) निवेश की विक्रय/मोचन पर लाभ		1,899.17	4,166.57	291.47	612.15
(c) (निवेश की विक्रय/मोचन पर नुकसान)		(83.60)	(139.51)	465.49	(91.00)
(d) प्रीमियम का परिशोधन / निवेश पर छूट		-	-	-	-
अन्य आय (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-
कुल (A)		2,36,304.05	4,07,664.70	2,90,077.23	2,91,199.81
बीमा व्यवसाय से सीधे संबंधित व्यय के अलावा अन्य व्यय		12.12	50.33	12.25	46.40
पॉलिसीधारकों के खाते में योगदान		942.45	942.45	475.97	475.97
(a) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय ¹		-	-	-	-
(b) अन्य		-	-	-	-
अधीनस्थ ऋण पर ब्याज		-	-	-	-
सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च		-	-	-	-
दंड		-	-	-	-
बड़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण		-	-	-	-
पॉलिसीधारकों के खाते में हस्तांतरित राशि ²		-	-	-	-
प्रावधान (कराधान के अलावा)					
(a) निवेश के मूल्य में कमी के लिए (शुद्ध)		-	-	-	-
(b) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		-	-	-	-
(c) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	-	-	-
कुल (B)		954.57	992.78	488.22	522.37
कर पूर्व लाभ/(हानि)		2,35,349.48	4,06,671.92	2,89,589.01	2,90,677.44
कराधान के लिए प्रावधान		(1,805.72)	2,359.81	240.42	620.76
कर पश्चात लाभ/(हानि)		2,37,155.20	4,04,312.11	2,89,348.59	2,90,056.68
विनियोग					
(a) वर्ष की शुरुआत में शेष राशि।		-	-	-	-
(b) अंतरिम लाभांश का भुगतान		-	-	-	-
(c) भुगतान किया गया अंतिम लाभांश		-	-	-	-
(d) रिजर्व / अन्य खातों में स्थानांतरण (निर्दिष्ट किया जाना है)		-	2,878.81	2,89,348.59	2,90,056.68
लाभ/हानि को तुलन पत्र में अंग्रेषित किया गया		2,37,155.20	4,01,433.30	-	-

¹ परिपत्र आईआरडीए/वि एवं ले /सीआईआर/विविध/184/10/2019 दिनांकित 4 अक्टूबर 2019 का संदर्भ लें।

² मास्टर परिपत्र दिनांकित 11.12.2013 जो जीवन बीमा व्यवसाय के वित्तीय विवरण तैयार करने और रिटर्न दाखिल करने पर है, के अनुच्छेद 2.6 का संदर्भ लें।

टिप्पणी:

- निवेश के संबंध में प्राप्त ब्याज, लाभांश और किराए को सकल राशि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए, स्रोत पर काटे गए आयकर की राशि को 'अग्रिम भुगतान किए गए कर और स्रोत पर कर कटौती' के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
- किराए से होने वाली आय में केवल वसूल किया गया किराया शामिल होगा। इसमें कोई विचारमूलक किराया शामिल नहीं होगा।

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।